



2026:AHC:67306

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम ज़मानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत संख्या -

3074 वर्ष 2026

कैसर अली आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अशोक कुमार सिंह बैस

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 72

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन शुक्ल

1. आवेदक के लिए अधिवक्ता; और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता मौजूद हैं।
2. प्रस्तुत अग्रिम ज़मानत आवेदन आवेदक की ओर से केस अपराध संख्या-341 वर्ष 2025 में बी.एन.एस., 2023 थाना-बिसौली, जिला बदायूं की धारा 69, 352, 351(3) के तहत दायर किया गया है, जिसमें मुकदमे के समापन तक उसे अग्रिम ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में उसकी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है और निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम ज़मानत की मांग करता है: -

- i. बी.एन.एस. की धारा 69 के तहत कोई अपराध प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) में दिए गए कथनों से नहीं बनता है।
- ii. पीड़ित ने आवेदक के साथ चार साल की अवधि के लिए रोमांटिक रिश्ते में रहने की बात स्वीकार की है, और ऐसी परिस्थितियों में, 1.7.2024 को शुरू की गई धारा 69 बी.एन.एस. के तहत अपराध लागू नहीं होता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. केवल शादी करने से इनकार करना शादी का झूठा वादा नहीं है।

iv. आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया है, हालांकि, आवेदक की किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि को इंगित नहीं कर सका।

5. मैंने पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

6. पीड़ित की उम्र तेईस वर्ष बताई गई है। आवेदक पच्चीस वर्ष की आयु का दावा करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक और पीड़िता एक रोमांटिक रिश्ते में थे, और प्राथमिकी के अनुसार, ऐसा नहीं लगता है कि यह शादी के झूठे वादे पर था। आवेदक और पीड़िता दोनों युवा थे और स्वेच्छा से एक रिश्ते में प्रवेश कर चुके हैं। न्यायालय की राय में, तथ्यों और परिस्थितियों से, जैसा कि प्रतीत होता है, बी.एन.एस. की धारा 69 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। कहा जाता है कि आवेदक ने अब किसी अन्य महिला से शादी कर ली है, और ऐसा प्रतीत होता है कि यदि पीड़ित आवेदक के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करता है तो वीडियो वायरल करने के आरोप अभियोजन पक्ष के संस्करण को रंग देने और अपराध की गंभीरता को बढ़ाने के लिए लगाए गए हैं। पीड़िता द्वारा एक हलफनामा भी दिया गया है जिसमें उसने कहा है कि वह नहीं चाहती कि प्रस्तुत मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. आवेदक का दावा है कि वह बच्चे का पिता नहीं है, और सत्र न्यायालय के समक्ष यह भी दावा किया जाता है कि वह खुद को डीएनए परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने को तैयार है। हालाँकि, यह न्यायालय आवेदक द्वारा की गई इस दलील पर विचार नहीं कर सकता है क्योंकि यह विवेचनाधिकारी का अधिकार क्षेत्र है।

8. उपर्युक्त सभी तथ्यों और आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत देना उचित समझता हूँ।

9. आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका की अनुमति है।



10. उपरोक्त मामले के अपराध में संलिप्त आवेदक- कैसर अली की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित थाना/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा: -

- i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं;

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय ज़मानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां ऊपर की गई टिप्पणियां विशेष रूप से प्रस्तुत अग्रिम ज़मानत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए हैं और मामले के गुण-दोष पर एक राय नहीं मानी जानी चाहिए।

मार्च 31, 2026

कुशल

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)